जयपुर में 10 साल के बच्चे को गलत खून चढ़ाया

जयपुर, 11 दिसम्बर (का.सं.)। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में 10 साल के बच्चे को **O** पॉजिटिव की जगह **AB** पॉजिटिव ब्लड (गलत ग्रुप) चढ़ा दिया गया। किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उधर, जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि बच्चे की हालत स्थिर है। इस लापरवाही के लिए जांच कमेटी बना दी गई है।

4 दिसंबर को भर्ती कराया गया था

जानकारी के अनुसार, भरतपुर के कामां के रहने वाले मुस्तफा की किडनी बचपन से ही छोटी थी। 4 दिसंबर को उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले जेके लोन हॉस्पिटल लेकर आए। यहां उसे क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट करवाया गया था। हॉस्पिटल अधीक्षक कैलाश मीणा की यूनिट में ही वह एडमिट है। बच्चे का ब्लड ग्रुप **O** पॉजिटिव है।

जिला कलक्टर एंव जिला संरक्षक ने हिन्दुस्तान स्काउट गाइड के स्टीकर का विमोचन किया

बीकानेर, 11 दिसम्बर (का.सं.)। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने हिन्दुस्तान स्काउट एण्ड गाइड के 26 वें स्थापना दिवस पर जारी स्टीकर (फ्लैग) का विमोचन किया एंव शुभकामनाएं दी। जिला ऑर्गेनाइजर (स्काउट) संदीप मांझू ने बताया की जिला ट्रेनर जसनप्रीत कौर, सूरज गोस्वामी ने स्टीकर का विमोचन करवाया, जिला ट्रेनर जसनप्रीत कौर ने स्काउट स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले में चल रही स्काउटिंग की गतिविधियों पर जानकारी ली और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की। जिला ऑर्गेनाइजर(स्काउट) संदीप मांझू ने बताया की हिन्दुस्तान स्काउट्स एण्ड गाइड्स संगठन को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा पलैग विक्रय/वितरण योजना प्रारम्भ कर रू. 10/– प्रति स्टीकर मुल्य का स्काउट/गाइड स्टीकर (पलैग) जारी किया गया है।

जयपुर से किडनैप कर युवक की हत्या का आरोपी पकड़ा

दो दोस्तों को उठा मांगी थी1 लाख की फिरौती, पीट-पीटकर 1 को मार डाला था

जयपुर, 11 दिसम्बर (का.सं.)। जयपुर से किडनैप कर एक युवक की हत्या मामले में 25 हजार के इनामी बदमाश को **AGFT** ने अरेस्ट किया है। 5 महीने पहले गिरफ्तार बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुहाना इलाके से 2 दोस्तों का किडनैप किया था। फिरौती नहीं मिलने पर एक दोस्त की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस मामले में तीन बदमाशों को पहले अरेस्ट कर चुकी है, जिनके कब्जे से किडनैप दूसरे दोस्त को सुरक्षित छुड़वा लिया गया था। मुहाना थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार इनामी बदमाश से पूछताछ करने में जुटी है।

25 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स **(AGFT)** के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया– किडनैप कर युवक की हत्या मामले में वांटेड बदमाश शंकर मेघवाल (27) मूलचंद निवासी कृष्णा नगर मानसरोवर को अरेस्ट किया है। पिछले पांच महीने से फरार बदमाश शंकर मेघवाल पर डीसीपी (साउथ) की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम रखा था। मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर के मुहाना इलाके में किडनैप कर युवक की हत्या का इनामी बदमाश केकड़ी में छिपा है।

सूचना के आधार पर **SI** सुभाष सिंह के नेतृत्व में **ASI** शंकर दयाल, हैड कॉन्स्टेबल सुरेश कुमार, नरेंद्र सिंह, कमल सिंह, कॉन्स्टेबल नरेश कुमार व सुरेश कुमार की टीम बनाई गई। वांटेड बदमाश शंकर मेघवाल की तलाश में **AGFT** केकड़ी जिले के सरवाड़ इलाके में जा पहुंची। सूचना को डेवलप कर कशीर गांव में छुपकर फरारी काट रहे बदमाश शंकर मेघवाल को दबिश देकर पकड़ा गया। **AGFT** ने इनामी बदमाश शंकर को मुहाना थाना पुलिस के हवाले कर दिया।

जयपुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के घर फायरिंग का इनामी पकड़ा

जयपुर, 11 दिसम्बर (का.सं.)। जयपुर में हिस्ट्रीशीटर के घर फायरिंग मामले में फरार इनामी बदमाश और उसके दोस्त को जवाहर नगर पुलिस ने अरेस्ट किया है। फायरिंग के बाद इनामी बदमाश ने सीकर में अपने दोस्त के घर पर देसी कट्टा छिपाने के साथ फरारी काटी। पुलिस पकड़ से बचने के लिए मनाली फरारी काट कर जयपुर आते ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर वारदात में यूज देसी कट्टा और कार को बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस पूर्व में गैंग के 5 बदमाशों को अरेस्ट कर चुकी है।

kotak Kotak Mahindra Bank

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

शाखा कार्यालय: प्रथम तल, 232-233 एसडीसी टॉवर, आम्रपाली सर्किल के पास, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर-302021

कब्जा सूचना

जबकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 (2002 के संख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के प्रयोग में एक मांग पत्र निम्न ऋणियों को उक्त सूचना पत्र, में वर्णित राशि सभी लागतों, प्रभारों एवं खर्चो सहित भुगतान की वास्तविक दिनांक तक की राशि को इस नोटिस की पावती के 60 दिनों में भुगतान करने हेतु जारी किया। उक्त ऋणीयों/सहऋणीयों द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणीयों/सहऋणीयों तथा जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का अधिनियम की धारा 13(4) तथा नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उसके साथ वर्णित दिनांकों को कब्जा में ले लिया है। ऋणियों को विशेषतया तथा जनसामान्य को सामान्यतया यह सूचित किया जाता है कि वह उक्त सम्पत्तियों में कोई लेनदेन ना करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी लेनदेन कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित सम्बंधित राशि पर संबंधित दिनांक से उस पर भविष्य के ब्याज, लागतों एवं प्रभारों के अध्यधीन होगा। ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणीयों, अनुसूचित सम्पत्तियों, बकाया राशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजे गये मांगपत्र के अनुसार और दावा राशि जिसके अनुसार कब्जे की दिनांक नीचे दी गयी है।

ऋणीयों, सहऋणियों का नाम पता ऋण खाता संख्या एवं ऋणराशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की दिनांक 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना की दिनांक 4. बकाया राशि रूपये में
श्री संजीव मित्तल पुत्र श्री किशन प्रसाद मित्तल एवं श्रीमती चंदन जैन पत्नी श्री संजीव मित्तल दोनों निवासी: एफ-1, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 13, कमल विहार, ग्राम मांग्यावास, तहसील- सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302020 एवं मैसर्स जैन एंड कंपनी जरिये इसके प्रोपराईटर श्री संजीव मित्तल पता: पटेल मार्केट वर्धमान नगर, अजमेर बाईपास, जयपुर, राजस्थान- 302024 ऋण खाता संख्या: 602607210193259 और 602607510199440 ऋण राशि: रु. 25,76,790/- (पच्चीस लाख छिहत्तर हजार सात सौ नब्बे मात्र) ऋण खाता 602607210193259 और रु. ऋण खाता 602607510199440 में 2,39,316/- (रुपये दो लाख उनतालिस हजार तीन सौ सोलह मात्र)	संपत्ति के सभी अंश व हिस्से जिसमें रिहायशी संपत्ति फ्लैट जो एफ-1, प्रथम तल, प्लॉट नं. 13, कमल विहार, मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर 302020 में स्थित, क्षेत्रफल 1300 वर्गफीट सुपर बिल्ट अप बंधककर्ता का नाम: श्रीमती चंदन जैन	1) 09.12.2024 2) भौतिक कब्जा 3) 06.10.2023 4) रूपये 38,63,560/- (रूपये अड़तीस लाख तरेसठ हजार पांच सौ साठ मात्र) दिनांक 09.12.2024 तक बकाया एवं देय योग्य दिनांक 10.12.2024 से लागू ब्याज सहित पूर्ण भुगतान होने तक।

दिनांक: 12.12.2024 स्थान : जयपुर वास्ते कोटक महिन्द्रा बैंक लि. प्राधिकृत अधिकारी

अन्य जानकारी के लिये कृपया श्री रविन्द्र सिंह गोदारा (+919983999074) एवं श्रीमती लक्ष्मी चौधरी (+917412032966) से सम्पर्क करें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006

ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिक्री **31.12.2024 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है"** तथा **"जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **www.centralbankofindia.co.in** अथवा (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें।

31.12.2024 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (15 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि
1.	करोल बाग नई दिल्ली	श्री अमोल पोखरना मोबाइल: 9999917126	हॉस्पिटलिटी एजुकेशन सर्विसेज इंटरनेशनल मालिक रोहित भाटिया	होटल एवं भूमि माप क्षेत्रफल 6767 वर्ग मीटर एम-2(आई), रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है मुख्य एनएच-12, शाहजहाँपुर, जिला-अलवर, राजस्थान-301706. मालिक - मैसर्स शिव शक्ति होटल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्रा. लि.	30.12.2022 रु.373.71 लाख + अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	01.10.2024 (भौतिक कब्जा)	₹ 10,30,00,000/- ₹ 1,03,00,000/- ₹ 10,30,000/-

ई–नीलामी की तिथिः 31.12.2024, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 31.12.2024 को 03:30 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET.com ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म ई-विक्रय पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET.com हेल्पडेस्क: (+91) 8291220220, ई-मेल: support.BAANKNET@psballiance.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 11.12.2024 स्थान: अलवर — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे. का. दिल्ली (उत्तर), चाँदनी चौक, दिल्ली

pnb Housing Finance Limited *Ghar Ki Baat*

परिशिष्ट –4–क

अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
भिवाड़ी शाखा: ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी–301019, राजस्थान। **बीकानेर शाखा**: बी–46–बी, द्वितीय तल, सादुल गंज, बीकानेर–334002

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/BHI/0519/696305, बी.ओ.: भिवाड़ी, अजीत खरमानिया, नीटू खरमानिया	12.07.2021 तक रु. 2030820.7	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर ए–303, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर–56, तहसील तिजारा जिला अलवर, भिवाड़ी, राजस्थान–301019, भारत। माप–770 वर्ग फीट.	रु. 1125000	रु. 112500	27.12.2024	रु. 10,000	16.12.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	28.12.2024 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
NHL/BIK/0818/562866, बी.ओ.: बीकानेर, अरुण नवलखा, ममता नवलखा और श्रीमती. मोहिनी देवी नवलखा	15.07.2022 तक रु. 1554958.09	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 1056, वार्ड नंबर 07, नोखा, बीकानेर, राजस्थान–334803, भारत।	रु. 2000000	रु. 200000	27.12.2024	रु. 10,000	16.12.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	28.12.2024 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known
00276660000803, 00276700001234, बी.ओ.: बीकानेर, श्री सुशील कुमार माली, कमला देवी माली, मुनि लाल नाई, अर्जुन सिंह और श्रवण कुमार माली,	21.12.2018 तक रु. 1279939.75	भौतिक कब्जा	वार्ड नंबर 19, मोहनपुरा, कच्ची बस्ती, पानी की टंकी के पास, नोखा, जिला– बीकानेर, राजस्थान। पिन कोड– 33480	रु. 1256000	रु. 125600	27.12.2024	रु. 10,000	16.12.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	28.12.2024 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **रवि कुमार, श्याम सिंह राजपुरोहित, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 12–12–2024 — प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार

मेरठ (उप्र), 11 दिसंबर (वेब वार्ता)। मेरठ जिले में पुलिस ने हत्या के एक मामले में वांछित इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लोहियानगर थाने की पुलिस एवं एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) मेरठ की एक संयुक्त टीम बजौट तिराहे पर जांच कर रही थी। जांच के दौरान पता चला कि इनामी बदमाश उमर (22) शौपिक्स मॉल की ओर से मोटरसाइकिल से बजौट की तरफ आ रहा है।

झारखंड में एक महिला ने अपनी नवजात बालिका को नदी में 'फेंका'

जमशेदपुर, 11 दिसंबर (वेब वार्ता)। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक महिला ने अपनी नवजात बालिका को एक नदी में कथित रूप से फेंक दिया जिससे उसकी (बच्ची की) मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उसने बताया कि जादूगोरा के डुरकु गांव में 30 वर्षीय यह महिला अपनी बेटी के साथ नहाने गयी थी और उसने उसे नदी में फेंक दिया। पुलिस उपाधीक्षक (मुसाबनी) संदीप भगत ने बताया कि बच्ची का शव सोमवार को मिला। भगत ने बताया कि महिला के पति ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी है लेकिन उसकी (महिला की) इस हरकत की सटीक वजह का तत्काल पता नहीं चल पाया है।

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08